न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—108/2021/225 (2021/108)

1. महमूदा पत्नि स्व0 नेनू, जाति शेख, निवासी ग्राम नूरियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गोकल पुत्र ईस्माईल, जाति शेख, निवासी ग्राम नूरियावास, तह0पीसांगन जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. लाल मोहम्मद पुत्र अल्लानूरशाह,
4. हबीब पुत्र अल्लानूरशाह,
5. कालू पुत्र रहमान,
6. बाबू पुत्र नजीर,
7. महमूद पुत्र नजीर,
8. छैना पुत्र नजीर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   8/1— शमीना पुत्री छेना,
   8/2— चांदबेग पुत्र छेना,
   8/3— इकबाल पुत्र छेना,
   8/4— सन्जू पुत्री छेना,
   8/5— मन्जू पुत्री छेना,
   8/6— सद्दाम पुत्र छेना,
   समस्त जाति शेख, निवासी ग्राम नूरियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 21.2.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 09/2020.

उपस्थितः—

1. श्री उगमसिंह रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 6 स्वंय उपस्थित।
4. रेस्पो0 संख्या 7, 8/1 से 8/6 अनुपस्थित ।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 24.2.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि ग्राम नूरियावास तहसील पीसांगन के वर्तमान खसरा नंबर 784 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है, प्रार्थी की कृषि आराजी पर आने जाने के लिये रास्ता खसरा नंबर 785 व 786 की पूर्वी सीमा से लगते हुए कदीमी रास्ता मौजूद है जो अजमेर से पीसांगन जाने वाले मुख्य सड़क में जाकर मिलता है, अप्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 786 है जो डामर सड़क से लगते हुए है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को परेशान करने की नियत से अपने काबिज खेत खसरा नंबर 785 की दक्षिणी मेड़ पर पक्की दीवार बना कर प्रार्थी का रास्ता बंद कर दिया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को खेत संख्या 785 व 785 के पूर्वी सीमा से लगते हुए 12 फुट चौडा रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 24.2.2021 को प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थी संख्या 8/2 व 8/3 की तामील विधिवत् नहीं हुई है एवं विधिवत् तामील भेजने के आदेश के बावजूद भी अधी0न्याया0 ने विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । प्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरांत अप्रार्थीगण का जवाब पेश होने के बाद तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट आ जाने के बाद प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर अपने प्रार्थना पत्र में मांगे गये अनुतोष के विपरीत पश्चिमी दिशा में रास्ता दिलवाये जाने की प्रार्थना की जिसे अधी0न्याया0 ने विधिविरूद्ध तरीके से कानून के विपरीत स्वीकार कर संपूर्ण प्रार्थना पत्र को संशोधित करने का आदेश प्रदान कर दिया । उक्त संशोधित प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र में मांगे गये अनुतोष के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो एक विधिक त्रुटि है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 को स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र में स्वंय ही संशोधन करते हुए मूल प्रार्थना पत्र का मूल स्वरूप ही बदल दिया है जबकि कानूनन प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6 नियम 17 जा0दी0 अधी0न्याया0 द्वारा स्वीकार करने के बाद प्रार्थी को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जानी थी, किन्तु अधी0न्याया0 ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रार्थी को आदेश देने के बजाय स्वंय द्वारा मूल प्रार्थना पत्र में कांट—छांट कर अविधिक तरीके से संशोधित कर उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने का पर्याप्त रास्ता मौजूद होने के बावजूद भी अधी0न्याया0 को गुमराह कर पश्चिम दिशा में रास्ते की मांग की जिस पर अधी0न्याया0 ने बिना किसी जांच के उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है । ग्राम नूरियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर के खसरा

संख्या 744 आबादी भूमि है जो प्रार्थी के खेत के सटते हुए है जिसमें से प्रार्थी के खेतों में आने जाने का पर्याप्त रास्ता मौजूद है । धारा 251–ए में भी अंकित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी भूमि में आने जाने का सुगम एवं नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो उक्त धारा में रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है किन्तु प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ता मौजूद होने के बावजूद भी अधी0न्याया0 को गुमराह कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 784 रकबा 0.19 है0 है जिसमें आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अप्रार्थी/अपीलांटस की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 785 व 786 की पूर्वी सीमा से लगते हुए कदीमी रास्ता मौजूद है जिसका वह कदीमी समय से उपयोग उपभोग करता आ रहा है किन्तु अपीलांट ने उक्त रास्ता बंद कर दिया है । अपीलांट का यह कथन कि खसरा नबर 744 में से रास्ता दिया जा सकता है किया गया कथन उचित नहीं है क्योंकि खसरा नंबर 744 आबादी भूमि है तथा आबादी भूमि में रास्ता नहीं दिया जा सकता है। तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 784 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट था कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा मौका रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 784 में आवागमन हेतु रास्ते के संबंध में प्रार्थन पत्र पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 784 में आवागमन हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । प्रार्थी ने पूर्व में खसरा संख्या 785 व 786 की पश्चिमी दिशा से रास्ते की मांग की थी किन्तु बाद में प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 785 व 786 की पश्चिमी दिशा के स्थान पर पूर्वी दिशा में रास्ते का संशोधन चाहा था जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् है क्योंकि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट के पैरा संख्या 4 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि " राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नंबर 784 के खातेदार को आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलबध नहीं है । वादी ने वाद रास्ता खसरा नंबर 786, 785 के पश्चिमी दिशा से चाहा है जबकि मौके पर उक्त दिशा में रहवासी मकानात व मस्जिद निर्मित है । मौके पर उक्त खसरा नंबर के पूर्वी दिशा पर 12 फुट का रास्ता उपलबध है । जिसे 785 की दक्षिणी दिशा पर सहखातेदार महमूदा पत्नि नैनू द्वारा दीवार बनाकर पक्का निर्माण किया जा रहा है ।" उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है तथा खसरा नंबर 786 व 785 की पश्चिमी दिशा में मकानात व मस्जिद बने हुए है जिसमें रास्ता दिया जाना संभव नहीं है । जहां तक खसरा नंबर 744 आबादी भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रश्न है खातेदारी भूमि हेतु आबादी भूमि में रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.2.2021 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर